

Rem at 3-10
16.2.82

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 1981/पौष 3, 1903

No. 51]

DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1981/PAUSA 3, 1903

भाग IV
PART IV

P.U. 1867

P.O. 315

5 km
5 Delhi Admin
Ref-305

भाग I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं

16/1/82

Notifications of Departments of the Delhi Administration other than Notifications included in Part I

दिल्ली प्रशासन : दिल्ली

DELHI ADMINISTRATION, DELHI

COMPLETED
8-3-82
पू. क. 1/1/82
पू. प्र. 4415
8/3/82

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

संख्या: एफ० 5/15/81-शि०/4377.—दिल्ली विद्यालय शि० अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या-18) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अपनी शक्तियों, कर्तव्यों, और कार्य को वित्त आयुक्त, दिल्ली प्रशासन प्रति-आयोजित करते हैं तथा यदि उनके समक्ष कोई अपील, कार्यवाही, यदि कोई निलम्बित हो तो वह भी दूसरे अधिकारी को हस्तान्तरित मानी जाएगी, जो कि ऐसी अपीलों/कार्यवाही पर उसी अवस्था से कार्यवाही आरम्भ करेंगे जिस पर वे इस समय निलम्बित हैं।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के नाम पर तथा उनके आदेश से,

श्रीमती ए० मिश्रा, सचिव (शि०)

(EDUCATION DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 1981

No. F.5/15/81-Edn./4377.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Delhi School Education Act, 1973 (Act No. 18 of 1973), the Administrator of the Union territory of Delhi is pleased to delegate his powers, duties and functions under sub-section (3) of Section 4 of the aforesaid Act, to the "Financial Commissioner, Delhi Administration", Delhi, and the appeals/proceedings, if any, pending before the former under those provisions of the said Act, shall be transferred to the latter who shall take up such appeals, proceedings from the stage they are pending at present.

By order and in the name of the Administrator of the Union territory of Delhi.

MRS. A. MISRA, Secy. (Education)

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

सं० एफ० 10/36/81 ए०एच०पी०-II. —जबकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को सूचना मिली है कि दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 को हुई एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप बताया गया है कि यात्री लेकर नौएडा (उत्तर प्रदेश) की ओर जा रही एक निजी चार्टर्ड बस सं० डी०एल० पी० 5320 दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में कनाल रेगुलेटर चिल्ला झील के निकट हिण्डन नहर में गिर पड़ी। इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कुछ के अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं।

और जबकि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक इस दुर्घटना की गंभीरता और उपर्युक्त व्यक्तियों की मृत्यु तथा अन्य के घायल होने की परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए इससे संतुष्ट हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाना आवश्यक है ;

अतः, अब, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक एक मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देते हैं, जो श्री प्रदीप सिंह, अतिरिक्त जिलाधीश दिल्ली द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की जायेगी :—

1. उन परिस्थितियों और कारणों की जांच करना, जिनके कारण दुःखद घटना हुई, और जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11-12-81 को दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में कनाल रेगुलेटर चिल्ला झील के निकट हिण्डन नहर पर बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा चोटें आईं।
2. दुर्घटना की मात्रा ;
3. यदि दुर्घटना का उत्तरदायित्व कोई हो, तो उसे निश्चित करना।
4. भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उपचारी सुझाव देना।

श्री प्रदीप सिंह, अतिरिक्त जिलाधीश अपनी रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को इस अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक के आदेश से और उनके नाम पर,
श्रीमती बि० जिदगर, उप सचिव
(गृह)

HOME (POLICE-II) DEPTT.

NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 1981

No.F.10/36/81-H.P-II.—Whereas information has been received by the Administrator of the Union Territory of Delhi that on 11th December, 1981 an accident has taken place as a result of which a private chartered bus, bearing No. DLP 5320, reportedly carrying passengers and proceeding to NOIDA in U.P. fell into Hindon Canal near, Canal Regulator, Chilla Jhal in the trans-Yamuna area of Delhi resulting in the death of many persons and injuries to several others.

And, whereas the Administrator of the Union Territory of Delhi, considering the gravity of the incident and also in order to ascertain the circumstances leading to the death of the aforementioned persons and injuries to others is satisfied that it is necessary to institute an Inquiry into the whole affair;

Now, therefore, the Administrator of the Union Territory of Delhi is pleased to order a Magisterial Inquiry to be conducted

by Shri Pradeep Singh, Additional District Magistrate, Delhi with the following terms:—

1. To inquire into the circumstances and causes leading to the tragedy, resulting in the death of and injuries to so many persons on 11.12.81 at Hindon Canal, near Canal Regulator Chilla Jhal in the trans-Yamuna area of Delhi;
2. The extent of tragedy;
3. To fix the responsibility if any for the mishap.
4. To suggest remedial measures for the prevention of such incidents in future.

Shri Pradeep Singh, Additional District Magistrate shall submit his report to the Administrator of the Union Territory of Delhi within 15 days from the date of this notification.

By order and in the name of
the Administrator of the Union
territory of Delhi.

MRS. B. JINDGAR, Dy. Secy, (Home)

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां, दिल्ली

आदेश

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1981

सं० एफ० 46/2086/77-एच०/को० ग्रा०/1001 से 1004.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की धारा 32 तथा उपराज्यपाल की अधिसूचना संख्या एफ-46/2086/77-एच० को० ग्रा० दिनांक-- के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अर० एस्० सेठी, पंजीयक, सहकारी समितियां, एतद्वारा कालकाजी बेस्ट फ्रेंड कोऑपरेटिव हाउस विलिंग सोसायटी लि० के प्रकरण में प्रशासक की अधि 15-6-82 तक बढ़ाता हूँ। श्री सुलतन सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिन्हें आदेश संख्या 46/2086/एच० सह०/3494-99 दिनांक 7-9-81 द्वारा नियुक्त किया गया है, इस समिति के प्रशासक का कार्यभारामी आदेशों तक करने रहेंगे।

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES:

DELHI

ORDER

New Delhi, the 14th December, 1981

No.F.46/2086/77/H/COOP./1001 to 1004:—In exercise of the powers vested in me under Section 32 of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972 read with the Lt. Governor's notification No.F.46/2086/77 -H/Coop. dated 14th December, 1981 I, R. S. Sethi, Registrar Cooperative Societies hereby extend the period of Administrator upto 15.6.1982 in the case of the Kalkaji Best Friends Cooperative House Building Society Ltd. Shri Sultan Singh, Deputy Registrar Cooperative Societies, Delhi shall continue to be the Administrator of the Society until further orders as appointed by order No.46/2086/H/Coop/34-94-99 dated 7.9.1981.

अधिसूचना

संख्या : एफ-2086/77-एच०/सह०/998 से 1000.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा सहर्ष निदेश देते हैं कि कालकाजी बेस्ट फ्रेंड कोऑपरेटिव हाउस विलिंग सोसायटी लि० के प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 32(1) के प्रावधान-इस सीमा तक

संशोधित रहेंगे कि तीन वर्ष की निर्धारित अवधि 15-6-82 तक लागू नहीं होगी।

ले० गवर्नर के आदेश से
आर० एस० सेठी, विशेष सचिव
(सहकारिता)

to direct that the provisions of Section 32(1) of the said Act shall be modified to the extent that the period of three years prescribed therein shall not apply to the Kalkaji Best Friends Cooperative House Building Society Ltd. till 15.6.1982.

NOTIFICATION

No.F.46/2086/77-H/Coop./998 to 1000.—In exercise of the powers conferred on him under Section 88 of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972, the Lt. Governor, Delhi is pleased,

By order of Lt. Governor

R. S. SETHI, Special Secy. (Cooperation)

सेवा विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

संख्या फा० 2(65)/81-सेवा(2)।—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा० 27/59-एच० आई० एम० (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के प्रशासक श्रमायुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में प्रयोगशाला परिचर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के बारे में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

श्रमायुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में प्रयोगशाला परिचर के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएँ
1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाला परिचर	एक	'ब' वर्गीय अराजपत्रित अलिपिकीय	196-3-220- द०रो०-3-232 रुपये	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष तक (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)।	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त परिषद्/ संस्था से विज्ञान विषय के साथ मैट्रिक या इसके समकक्ष। वांछनीय : नर्सिंग अर्दली के रूप में काम करने का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।

परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होती हो तो वे श्रेष्ठ जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाता है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है ?

परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती के लिए लिया जाता है।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में कार्यरत प्रयोगशाला परिचरों/नर्सिंग अर्दली आदि से स्थानांतरण द्वारा।	लागू नहीं	लागू नहीं

SERVICES DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th December, 1981

No. F.2(65)/81-S. II:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home affairs Notification No. F.27/59-Him(i), dated the 13th July, 1959, the Administrator of Delhi is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of laboratory Attendant in the Office of the Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.

Recruitment Rules for the post of Laboratory Attendant in the office of the Labour Commissioner: Delhi Administration: Delhi

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment.
1	2	3	4	5	6	7
Laboratory Attendant	One	Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	N.A.	18-25 years (Relaxable for Govt. servants).	Essential: Matric or equivalent with Science from a recognised Board/Institute. Desirable: Experience of work as Nursing Orderly.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
A.	One year	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer: Laboratory Attendant/Nursing Orderlies etc. working in Hospitals under the Delhi Administration.	N.A.	N.A.	

संख्या फा० 2 (63) 81-सेवा-2.--भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा० 27/59 एच० आई० एम० (1) दिनांक 13 जुलाई, 1959 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक यहां संलग्न अनुसूची में कार्यालय श्रमायुक्त दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति एवं योग्यताओं के संबंध में नियम बनाते हैं।

कार्यालय, श्रमायुक्त, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले अपेक्षित शैक्षिक व अन्य	उम्मीदवारों से योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	
प्रयोगशाला तकनीशियन	एक	ग्रुप 'ग' अराजपद्धित (अलिपिकीय)	330-10-380- द०रो०-12-500- द०रो०-15-560- रूपमें।	लागू नहीं	18-25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)	अनिवार्य : 1. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रयोगशाला तकनीशियन में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र। 3. किसी सरकारी विभाग में प्रयोगशाला सहायक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।	

क्या सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी

परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो।

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है

परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती के लिए लिया जाना है

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- टीप :- 1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होंगी।
2. इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्तियों से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।
4. जहां प्रशासक का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अधिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों की किसी श्रेणी या वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबन्ध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
5. भर्ती नियमों के कालम-6 में उल्लिखित आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियों रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

No. F. 2(63)/81-S.II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him(i), dated the 13th July, 1959, the Administrator of Delhi is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Laboratory Technician in the Office of the Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.

Recruitment Rules for the post of Laboratory Technician in the Office of the Labour Commissioner: Delhi, Administration, Delhi

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Laboratory Technician	One	Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not Applicable	18-25 years (Relaxable for Govt. servants)	Essential: 1. Successful completion of Senior Secondary Course with Science, from a recognised institution. 2. Diploma or Certificate Course in Laboratory Technician Course from a recognised institution. 3. 3 years' experience as Laboratory Assistant in a Government Department.

Whether age and educational qualifications prescribe for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
N.A.	One year	By direct recruitment	N.A.	N.A.	N.A.

NOTES :—

- The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.
- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
- Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.
- The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit, will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

संख्या फा० 2(72)/80,सेवा-(2)।—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा० 24(78)/68-डी० एन० (एस०) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के प्रशासक संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श करने के बाद प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के बारे में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली में उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा	क्या (पेंशन) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1972 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
उप निदेशक (प्रशिक्षण)	*1	'क' वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित परिवर्तन अलिपिकीय कार्यभार पर निर्भर है	1300-50-1700 रुपये	चयन	45 वर्ष से अधिक न हो (सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय है) टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख भारत में रह रहे उम्मीदवार (अनुमान व निकोवार द्वीप समूह व लक्ष-द्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) के लिये वही होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख है।	नहीं	अनिवार्य: (1) किसी मायन्ताप्राप्त विश्व-विद्यालय से यांत्रिकी/विद्युत्/सिविल अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता। (2) 8 वर्ष का व्यवसायिक या अध्यापन का अनुभव जिसमें किसी ह्यति प्राप्त प्रतिष्ठान में या किसी प्रशिक्षण संस्था में पर्य वेक्षणिय हैसियत का कम कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
टीप 1 :- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।							
टीप 2 :- यदि चयन को किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये अपेक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, तो इन जातियों के							

1	2	3	4	5	6	6क	7
							उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
							वांछनीय : (1) विभिन्न प्रकार की इन्जिनियरी तथा कुटीर एवं लघु उद्योग के भवन निर्माण-शिल्प की जानकारी (2) स्थानीय भाषा/भाषाओं का ज्ञान (3) शिल्पकार एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजनाएं चलाने का प्रशासनिक अनुभव।
क्या सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	की अवधि यदि कोई हो।	की भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है			यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती के लिये लिया जाना है

8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं शैक्षिक योग्यताएं—कालम 11 में उल्लिखित सीमा तक	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न मिलने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा दोनों प्रकार से न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : (1) सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) (2) प्रधानाचार्य—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूसा और अरव-की-सराय तथा वुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र और (3) सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार जिनकी ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/	1. 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिये) : (1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य—अध्यक्ष (2) मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—सदस्य (3) प्रशासन के संबंधित सचिव—सदस्य	पदोन्नति, सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी के नियुक्त करने के लिये चयन और इस नियमों के किसी उपबन्धों को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

8

9

10

11

12

13

- विद्युतीय/सिविल अभि- (4) संबंधित विभागाध्यक्ष
यांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में जबकि वे प्रशासन
दिग्धी हो। में पदेन सचिव न हो—
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : सदस्य
केन्द्रीय/राज्य सरकार और
संघ राज्य क्षेत्र के—
- (क) समरूप पद धारण करने 2. 'क' वर्गीय विभागीय
वाले, अथवा पदोन्नति समिति (पुष्टि-
करण पर विचार करने
के लिये) :
- (ख) 1100-1600 के वेतन- (1) मुख्य सचिव, दिल्ली
मान या इसके समकक्ष प्रशासन, दिल्ली—
वेतनमान के पदों में तीन अध्यक्ष
वर्ष की सेवा रखने वाले (2) प्रशासन के संबंधित
अधिकारी तथा कालम 7 सचिव—सदस्य
के नीचे सीधी भर्ती वाले (3) संबंधित विभागाध्यक्ष
उम्मीदवारों के लिये जबकि वे प्रशासन में
निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं पदेन सचिव न हो—
एवं अनुभव रखने वाले सदस्य
अधिकारी।

टीप :—पुष्टिकरण के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही आयोग के अनु-मोदनार्थ भिजवाई जायेगी। यदि आयोग अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की अध्यक्षता में नयी बैठक होगी।

- टीप :— 1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
2. इन नियमों को किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।
4. भर्ती नियमों के कालम—6 में उल्लिखित आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अंजमान निकोवार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

No. F.2(72)/80-S. II :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968 the Administrator of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Deputy Director (Training) in the Directorate of Training and Technical education, Delhi Administration, Delhi.

Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Training) in the Directorate of Training and Technical Education : Delhi Administration.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Deputy Director (Training)	*1 (1981) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1300-50-1700.	Selection.	Not exceeding 45 years (Relaxable upto 5 years for Government servants) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential: (i) At least Second Class Degree in Mechanical/Electrical/Civil Engineering/Technology of a recognised University or equivalent. (ii) 8 years' professional or teaching experience of which at least five years should be in a supervisory capacity in a reputed concern or in a training institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: (i) Working knowledge of various engineering and building trades of cottage and small scale industries. (ii) Knowledge of local language(s). (iii) Administrative experience in running craftsman and apprenticeship training schemes.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	
Age : No Educational Qualifications : To the extent indicated in column 11	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	<p>Promotion:</p> <p>(a)(i) Assistant Director (Training),</p> <p>(ii) Principal, ITIs, Pusa and Arab-ki-Sarai and Basic Training Centre; and</p> <p>(iii) Assistant Apprenticeship Adviser.</p> <p>(b) With three years' regular service in the grade and possessing Degree in Mechanical/Electrical/Civil Engineering/Technology of a recognised University or equivalent.</p> <p>Transfer on deputation : Officers from the Central/State Governments and Union Territories—</p> <p>1. (a) holding analogous posts; or</p> <p>(b) with three years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and</p> <p>2. possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p> <p>(Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>1. Group 'A' DPC (for considering promotion) consisting of—</p> <p>(i) Chairman/Member of the U.P.S.C.—Chairman,</p> <p>(ii) Chief Secretary, Delhi Administration—Member.</p> <p>(iii) Secretary concerned in the Administration—Member.</p> <p>(iv) Head of Deptt. concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration—Member.</p> <p>2. Group 'A' DPC (for considering promotion).</p> <p>(a) Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi—Chairman.</p> <p>(b) Secretary concerned in the Administration—Member.</p> <p>(c) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration—Member.</p> <p>Note:—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.</p>	<p>Congulation with U.P.S.C. necessary while making promotion, direct rectt. selecting an officer for appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of these rules,</p>

NOTES :—

1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

संख्या फा० 2/35/81-ते० 2:—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या 24/78/68-डी० एच० (एच०) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के प्रशासक संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श करन के बाद समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में कार्यक्रम अधिकारी (समाकलित बाल विकास परियोजना) के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के सम्बन्ध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में कार्यक्रम अधिकारी (समाकलित बाल विकास परियोजना) के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या (पेंशन) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
कार्यक्रम अधिकारी (समाकलित बाल विकास परियोजना)	एक* (1981)	'क' सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित अलिपिकीय कार्यभार पर निर्भर है।	700-40-900- द०रो०-40- 1100-50-1300रू०	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं हो। (सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट)	नहीं	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/अर्थ शास्त्र/सांख्यिकी/राजनीति विज्ञान/पीपाहार में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि या इसके समकक्ष योग्यता। (2) समाज कार्य में पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था के किसी पर्यवेक्षणीय पद पर तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव शामिल है। टीप : 1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप : 2 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये उपयुक्त सं० में उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। वांछनीय : (1) बाल विकास/कल्याण/विशेष परामर्श/आयोजन सांख्यिकी/नीति निर्धारण में विशेष अनुभव। (2) हिन्दी का ज्ञान।

क्या सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	की भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से जारी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होंगी तो वे वेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाता है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियों जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती के लिए लिया जाता है
--	------------------------------	---	--	--	--

8	9	10	11	12	12
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं	'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिये) (क) मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन दिल्ली— अध्यक्ष (ख) प्रशासन के संबंधित सचिव—सदस्य (ग) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जबकि वह प्रशासन में पदेन सचिव न हो— सदस्य	सीधी भर्ती तथा इन नियमों के किसी उपबन्धों को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
				टीप :—पुष्टिकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भिजवाई जायेगी। यदि आयोग इसको अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करता है, तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की अध्यक्षता में नयी बैठक आयोजित की जायेगी।	

- टीप :—1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
2. इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।
4. भर्ती नियमों के कालम-6 में उल्लिखित आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अंशमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्ष द्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

No. F. 2(35)/81-S. II:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968, the Administrator of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Programme Officer (Integrated Child Development Scheme) in the Directorate of Social Welfare, Delhi Administration, Delhi.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF THE PROGRAMME OFFICER (INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SCHEME) IN THE DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE: DELHI ADMINISTRATION : DELHI

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6a	7
Programme Officer (Integrated Child Development Scheme)	1* (1981) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	N.A.	Not exceeding 35 years. (Relaxable upto 5 years for Govt. Servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	No.	Essential : (i) At least Second Class Master's Degree in Social Work/Economics/ Statistics/Political Science/Nutrition of a recognised University or equivalent. (ii) 5 years' experience in social work including three years administrative experience in a supervisory post in any Govt./Semi-Govt./recognised Institution. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Special experience in Child Development/Welfare/special advice/planning/statistics/policy formulation. (ii) Knowledge of Hindi.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits, will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt: by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
N.A.	2 years	By direct recruitment.	N.A.	Group 'A' DPC (for considering confirmation): (a) Chief Secretary, Delhi Admn., Delhi. —Chairman. (b) Secretary concerned in the Admn. —Member. (c) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Admn. —Member.	Consultation with the UPSC necessary while making direct recruitment and amending/relaxing any of the provisions of these rules.

Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

Notes :—

1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.

दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1981

संख्या फा० 2(36)/81-सेवा (2) :—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एफ० 24/78/68-डी० एच० (एस०) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श करने के बाद दिल्ली प्रशासन दिल्ली के अधीन लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ आहार-विद् के पद पर नियुक्ति के लिय आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के बारे में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में वरिष्ठ आहारविद् के पद के भर्ती नियम ।

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा नैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या के० ति०से० पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से शैक्षिक व अनुभव योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
वरिष्ठ आहारविद्	*एक (1981) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	'ख' वर्गीय सामान्य सेवा राजपत्रित अलिपिकीय	650-30-740- 35-810-द०री०- 35-880-40- 1000-द०री०- 40-1200-द०री०-	चयन	30 वर्ष से अधिक न हों (सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक की छूट। टीप :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख भारत में रह रहे (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उम्मीदवारों के अलावा) उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	नहीं	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार और पोषण या आहार और पोषण में विशेषज्ञता के साथ गृह-विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष कोई योग्यता तथा किसी अस्पताल में आहार विभाग में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोषण विशेष विषय लेकर बी०एस०सी० (गृहविज्ञान/गृह अर्थशास्त्र) की उपाधि या इसके समकक्ष कोई योग्यता तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आहार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं आहार विषयक पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। टीप 1:—अनुभव सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप 2:—यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों और जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है तो इन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। वांछनीय : पोषण के क्षेत्र तथा/या इससे सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान/व्यवहारिक अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होती हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती के लिये लिया जाना है
--	------------------------------	---	--	--	---

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : जिनकी ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो वे आहारविद्। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 1. केन्द्रीय/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के निम्न-लिखित अधिकारी :— (1) समस्त पदाधिकारी या (2) 550-900 रुपये के वेतन-मान में या इसके समकक्ष वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा वाले या (3) 425-700 रुपये के वेतन-मान में या इसके समकक्ष वेतनमान में आठ वर्ष की सेवा वाले तथा 2. कालम 7 के नीचे सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति : (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. विकास आयुक्त दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव या आबकारी आयुक्त दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सेवा) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—सदस्य 4. जहां पर अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवारों पर विचार करना हो, वहां पर अनुसूचित जातियों/जन जातियों से सम्बन्धित दिल्ली प्रशासन का वह अधिकारी, जो अतिरिक्त जिलाधीश/संयुक्त सचिव के रैंक से कम न हो—सदस्य	सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी को नियुक्त करने के लिए चयन और इन नियमों के किसी उप-बन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
				ख वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिये) 1. विकास आयुक्त दिल्ली प्रशासन, दिल्ली—अध्यक्ष 2. सम्बन्धित सचिव—सदस्य 3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जबकि वे प्रशासन में पदेन सचिव न हों—सदस्य	
				टीप : किसी सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार की पुष्टिकरण से सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भिजवाई जायेगी यदि आयोग इसको अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की नयी बैठक बुलाई जायेगी।	

- टीप:— 1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
2. इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, बोधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।
4. भर्ती नियम के कालम 6 में उल्लिखित आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के) उम्मीदवार से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियाँ रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

एस० एल० बंसल, उप-सचिव

Delhi, the 15th December, 1981

No. F. 2(36)/81-S. II :—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 24/78/68/DH(S), dated 24-9-68, the Administrator of the Union Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Senior Dietician in the Lok Nayak Jai Prakash Narain Hospital, New Delhi under Delhi Administration, Delhi.

By order and in the name of the
Administrator of the Union
Territory of Delhi,

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of senior dietician in the Lok Nayak Jai Prakash Narain Hospital : Delhi Administration : Delhi.

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(7)
Senior Dietician	1* (1981) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 650-30-740 35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable upto 5 years for Govt. Servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	No	Essential : (i) Master's Degree in Food and Nutrition or Home Science/Home Economics with specialisation in Food and Nutrition of a recognised University or equivalent and two year's practical experience in the Dietetics Department of a Hospital. OR B. Sc. (Home Science/Home Economics) with Nutrition as special subject from recognised University or equivalent with postgraduate Diploma in Dietetics from a recognised Institution and five years' practical experience in Dietetics. Note 1 : The qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Research /Practical experience in the field of Nutrition and/ or related subject.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	<p>Promotion : Dietician with three years' regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation :</p> <p>1. Officers under the Central/ State Governments and Union Territories :—</p> <p>(i) holding analogous posts; or</p> <p>(ii) with three years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent; and</p> <p>2. Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).</p>	<p>Group 'B' DPC (for considering promotion) :</p> <p>1. Development Commissioner, Delhi Administration, Delhi—Chairman.</p> <p>2. Administrative Secretary or Excise Commissioner, Delhi Admn. Delhi—Member.</p> <p>3. Joint Secretary (Services), Delhi, Administration, Delhi, —Member.</p> <p>4. An officer belonging to Scheduled Caste/ Tribes Community not below the rank of ADM/Joint Secretary in Delhi Administration in cases where SC/ST candidates are considered—Member.</p> <p>Group 'B' DPC (for considering confirmation)</p> <p>(a) Development Commissioner, Delhi, Administration, Delhi—Chairman.</p> <p>(b) Secretary concerned —Member.</p> <p>(c) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary —Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission while making direct recruitment, selecting an officer for appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of these rules.</p>
				<p>Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.</p>	

Note :—

- The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.

2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

S. L. BANSAL, Dy. Secy.

अर्थ एवं सांख्यिकी कार्यालय/BUREAU OF ECONOMICS & STATISTICS

अधिसूचना/NOTIFICATION

दिल्ली, 15 दिसम्बर 1981/Delhi, the 15th December, 1981

सं० एफ० पी०/3/4/बी०ई०एस०/81-11374—दिनांक 4-12-81 को समाप्त होने वाले पक्ष के अन्तिम दिन का दिल्ली के बाजार में थोक भावों का पाक्षिक विवरण ।

- नोट:— 1. जब तक कोई अन्य स्पष्टीकरण न हो, वस्तुओं के भाव रुपयों में प्रति क्विन्टल (100 किलोग्राम) के हिसाब से दिए गए समझने चाहिए ।
2. जहां पर वस्तुओं की किसी खास किस्म के बारे में निर्देश न हो, वहां अच्छी औसत किस्म से ही मतलब समझना चाहिए ।
3. इस विवरण में जहां शब्द "नहीं है" लिखा हुआ है उसका यह अर्थ लगाना चाहिए कि वह वस्तु बाजार में नहीं मिली है, तथा "नि० मू०" का अर्थ है "नियंत्रित मूल्य" (कन्ट्रोल किए हुए मूल्य) ।

No. F.P. 3/4/B.E.S./81-11374—FORTNIGHTLY RETURN OF WHOLESALE PRICES PREVAILING IN DELHI MARKET ON THE LAST DAY OF THE FORTNIGHT ENDING THE 4-12-81.

NOTE :—1. Prices are in rupees per quintal (100 kilograms) unless otherwise stated.

2. Where there is no reference to any specific quality, fair average quality is implied.

3. Abbreviations : (i) N.Q.—Not quoted, (ii) 'C'—Controlled price, (iii) N.A.—Not available.

वस्तुएं Commodities	किस्म Variety/quality	इकाई Units	भाव Rates	विवरण Remarks
1	2	3	4	5
I. अन्न Cereals		प्रति क्विन्टल Per quintal	₹ Rs.	
1. चावल —Rice	बासमती Basmati	„	450.00 to 650.00	
	परमल Permal	„	300.00 to 320.00 202.10	'C'
	बेगमी Begmi (I. R. 8)	„	210.00 to 220.00	

1	2	3	4	5
I. अन्न—(चाल)		प्रति क्विन्टल	₹०	
CEREALS—(Contd.)		Per quintal	Rs.	
2. गेहूँ—Wheat	देसी Desi	”	200.00 to 210.00	
	कल्याण Kalyan	”	170.00 to 180.00 145.10	
3. गेहूँ का आटा Wheat Flour	आटा Atta (Kalyan)	90 किलो की बोरी 90 kg. Bag	180.00	'C'
4. ज्वार Jowar		”	160.00 to 170.00	
5. जौ Barley		”	125.00 to 130.00	
6. बाजरा Bajra		”	150.00 to 160.00	
7. मक्का Maize		”	160.00 to 170.00	
8. सहायक खाद्य फसलें : Subsidiary Food Crops :				
शकरकन्दी Sweet Potatoes		प्रति 40 किलोग्राम Per 40 Kg.	40.00 to 48.00	
II. साबत दालें— PULSES (Whole pulses)—				
	गरारा Grara	प्रति क्विन्टल Per quintal	320.00 to 340.00	
1. चना Gram	पीला Peela	”	360.00 to 380.00	
2. अरहर Arhar		”	290.00 to 300.00	
3. मूंग Mung	देसी Desi	”	320.00 to 360.00	
4. उर्द Urd	काले Black	”	240.00 to 280.00	
5. मसूर Massur		”	320.00 to 370.00	
6. अन्य दालें : Other Pulses				
(क) मोठ Moth		”	310.00 to 315.00	
(ख) चना Gram	काबुली Kabuli	”	350.00 to 475.00	
(ग) राजमा Rajma	चितरा Chitra	”	330.00 to 350.00	
(घ) लोबिया सफेद Lobia White		”	300.00 to 400.00	
(ङ) मटर सफेद Peas White	सूखी Dry	”	380.00 to 400.00	

1	2	3	4	5
III. चीनी तथा गुड़— SUGAR AND GUR—			रुपये Rs.	
1. गुड़ Gur	देसी Desi	प्रति क्विन्टल Per Quintal	260.00 to 280.00	
2. चीनी दानेदार Sugar Crystal		”	600.00 to 620.00	
3. खांडसारी Khandsari		”	475.00 to 525.00	
4. देसी खांड Sugar Desi	बुरा Bura	”	520.00 to 560.00	
IV. तिलहन के बीज, तेल तथा खल— OIL SEEDS, OIL AND OIL-CAKES—				
1. मूंगफली का तेल Groundnut Oil		”	1200.00	
2. मूंगफली Groundnut	(1) छिलकेदार (साबत) Shelled	”	440.00 to 460.00	
	(2) छिली हुई Unshelled	”	540.00 to 580.00	
3. मूंगफली की खल Groundnut Oil-cake		”	150.00 to 160.00	
4. अरंडी का तेल Castor Oil		”	710.00	
5. सरसों Rapeseed		”	380.00 to 430.00	
6. सरसों का तेल Mustard Oil	(1) कच्ची घानी Kachchi Ghani	”	1300.00 to 1350.00	
	(2) पक्की घानी Pakki Ghani	”	1150.00 to 1200.00	
7. सरसों की खल Mustard Oil-cake	पापड़ी (i) Papri	”	140.00 to 150.00	
8. अलसी Linseed		”	N.A.	
9. अलसी का तेल Linseed Oil		”	1140.00	
10. नारियल Coconut	(1) हरा Green	प्रति सौ इकाइयां Per 100	180.00 to 200.00	
	(2) सूखा Dry	प्रति क्विन्टल Per quintal	1500.00 to 1600.00	
11. नारियल का तेल Coconut Oil	(1) साफ किया हुआ Refined	प्रति टिन 15.5 किलोग्राम Per tin 15.5 kg.	N.A.	
	(2) बिना साफ किया हुआ Unrefined	प्रति क्विन्टल Per quintal	1400.00	
12. अन्य तिलहन Other Oilseeds तिल—Tilseed	सफेद White	”	610.00	
13. वनस्पति तेल Vegetable Oils (Vanaspati)	(i) पनघट Panghat	प्रति टिन (16-1/2 किलोग्राम का) Per tin (16-1/2 kg.)	205.20	
14. अन्य तेल Other Oils		प्रति क्विन्टल Per quintal		
(क) तिल का तेल— (a) Til Oil		”	1300.00 to 1375.00	
(ख) महुआ का तेल— (b) Mahua Oil		”	930.00	

1	2	3	4	5
			₹.	
V. फल, सब्जियां तथा मेवे— FRUITS, VEGETABLES AND NUTS—			Rs.	
(a) फल Fruits				
1. आम Mangoes		प्रति 40 किलोग्राम Per 40 Kg.		N. A.
2. केले Bananas		प्रति दर्जन Per doz.		2.00 to 2.50
3. सन्तरे Oranges		„		4.00 to 6.00
(b) सब्जियां Vegetables				
1. प्राणू Potatoes	(i) पहाड़ी Hill	प्रति 40 किलोग्राम Per 40 Kg.		N.A.
	(ii) देसी Desi	„		32.00 to 36.00
2. प्याज Onions	(i) सूखा Dry	„		70.00 to 80.00
	(ii) हरी Green	„		32.00 to 40.00
3. टमाटर Tomatoes		„		64.00 to 80.00
4. हरी मटर Peas Green	(i) देसी Desi	„		140.00 to 160.00
	(ii) शिमला Simla	„		N.A.
5. अर्वी Arvies		„		64.00 to 72.00
6. कांसीफल Pumpkin		„		28.00 to 32.00
7. बीया Bottle Gourd		„		32.00 to 36.00
(c) मेवे Nuts				
1. काजू Cashew Nuts 320/210		प्रति क्विन्टल Per quintal		6500.00 to 7500.00
2. बादाम काठा Almonds Katha		„		2000.00 to 2100.00
3. अखरोट Walnuts		„		800.00 to 1200.00
4. किरासिया Raisins (Kandhari)		„		5000.00 to 6000.00
5. खजूर Dates		„		600.00 to 700.00

1	2	3	4	5
			रु०	
			Rs.	
VI. तम्बाकू TOBACCO—				
देसी Country		प्रति क्विन्टल Per quintal		700.00 to 800.00
VII. मवेशी LIVESTOCK—				
1. काम करने वाले पशु Work Cattle				
(a) बैल (4 या 6 दांत वाले) Bullock (4—6 teeth)	(i) पहले दर्जे का 1st Class	प्रति इकाई Per Head		2000.00
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd Class	„		1500.00
(b) भैंसा (4 या 6 दांत वाले) Buffalo bull (4—6 teeth)	(i) पहले दर्जे का 1st Class	„		1500.00
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd Class	„		1200.00
2. दूध देने वाले पशु Milch Cattle				
(a) दूध देने वाली गाय (तीसरी बार ब्याई हुई) Milch Cow (3rd lactation)	(i) पहले दर्जे की 1st Class	प्रति इकाई Per Head		2000.00
	(ii) दूसरे दर्जे की 2nd Class	„		1500.00
(b) भैंस Buffalo	(i) पहले दर्जे की 1st Class	„		4000.00
	(ii) दूसरे दर्जे की 2nd Class	„		3500.00
3. भेड़ Sheep		प्रति कोड़ी Per score		3600.00 to 3800.00
4. बकरी Goat		„		3800.00 to 4000.00
VIII. मवेशियों से प्राप्त वस्तुएं LIVESTOCK PRODUCTS—				
1. ऊन Wool	(i) काली Black	प्रति क्विन्टल Per quintal		600.00 to 700.00
	(ii) गीजा Geeja	„		800.00 to 900.00
	(iii) सफेद White	„		N.A.
2. चमड़ा Hides				
(a) गाय का सूखा चमड़ा Cow Hide Dry	(i) पहले दर्जे का 1st quality	„		N.A.
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd quality	„		N.A.
(b) भैंस का कच्चा चमड़ा Buffalo Hide Raw	(i) पहले दर्जे का 1st quality	प्रति एक Each		30.00
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd quality	„		25.00

*कोई नियमित बाजार नहीं है, यहां पर जो भाव दिए गए हैं वे व्यक्तिगत सौदों पर आधारित हैं।

*There is no regular Market; and rates quoted are those for individual transactions.

1	2	3	4	5
			₹	
			Rs.	
(c) बैस का सूखा चमड़ा Buffalo Hide Dry	(i) पहले दर्जे का 1st quality	प्रति क्विंटल Per quintal	N.A.	
	(ii) दूसरे दर्जे का 2nd quality	"	N.A.	
3. खाल Skins				
(a) बकरी की कच्ची खाल Goat Skin Raw	(i) पहले दर्जे की 1st quality	प्रति सौ इकाईयां Per 100	1800.00	
	(ii) दूसरे दर्जे की 2nd quality	"	1200.00	
(b) भेड़ की कच्ची खाल (ऊत सहित) Sheep Skin Raw (with wool)	(i) पहले दर्जे की 1st quality	"	1400.00	
	(ii) दूसरे दर्जे की 2nd quality	"	1000.00	
(c) भेड़ की सूखी खाल Sheep Skin Dry	(i) पहले दर्जे की 1st quality	"	1200.00	
	(ii) दूसरे दर्जे की 2nd quality	"	800.00	
4. घी—Ghee	(i) महेश 'एग' मार्क Agmark Mahesh	प्रति क्विंटल Per quintal	3511.75	
	(ii) बुला हुआ Ungraded	"	3250.00 to 3000.00	
IX. चारा FODDER—				
1. मूसा Straw	(i) गेहूँ का Wheat	"	42.00	
	(ii) मूसा का Misa (Misa)	"	N.A.	
2. करबी Stalks	सूखी ज्वार Jowar Dry	"	48.00	
X. मसाले CONDIMENTS AND SPICES—				
1. हल्दी साबत Turmeric Whole		"	350.00 to 500.00	
2. इमली Tamarind	गुठली वाली Seeded	"	290.00 to 380.00	
3. लाल मिर्च (सूखी) Dry Chillies	देसी Desi	"	1200.00 to 1500.00	
4. अमचूर Amchur		"	800.00 to 1400.00	
5. धनिया Coriander	(i) बड़ा Large	"	600.00 to 700.00	
	(ii) छोटा Small	"	800.00 to 900.00	
6. नमक Salt	सांभर Sambhar	प्रति बोरी 75 किलो ग्राम Per bag of 75 kg.	20.00	
XI. अन्य MISCELLANEOUS—				
लकड़ी Timber				
(a) चीड़ Cheel per Sleeper 10' × 10' × 5"		प्रति घन मीटर Per cubic metre	170.00	
(b) शीशम Sheesham Per Sleeper 4' × 8' × 8"	(i) चिरो हुई—Sawed	"	1487.00 to 1558.00	
	(ii) साबत—Unsawed	"	1417.00 to 1487.00	

संख्या एफ० पी० /3/4/बी०ई०एस०/81/11374--दिनांक 4-11-81 को समाप्त होने वाले पक्ष के अन्तिम दिन का दिल्ली के बाजार में फुटकर भावों का पाक्षिक विवरण ।

- नोट :—1. किसी विशेष स्पष्टीकरण के न होने पर, वस्तुओं के भाव रुपयों में प्रति किलोग्राम (1000 ग्राम) के हिसाब से समझने चाहिए। जहाँ पर वस्तुओं की किसी खास किस्म के बारे में निर्देश न हो, वहाँ अच्छी ग्रीसत किस्म से ही मतलब समझना चाहिए।
2. इस विवरण में जहाँ "नहीं है" शब्द लिखा हुआ है, उसका अर्थ यह है कि वह वस्तु बाजार में नहीं मिला है,। "नि० सू० का अर्थ है नियंत्रित मूल्य (कंट्रोल किए हुए मूल्य) ।

No. F.P. 3/4/ B.E.S./81/11374.—FORTNIGHTLY RETURN OF RETAIL PRICES PREVAILING IN DELHI MARKET ON THE LAST DAY OF THE FORTNIGHT ENDING THE 4-11-81.

NOTE:— 1. Prices are in rupees per kilogram unless otherwise stated. When quality is not specified, fair average quality is implied.

2. Abbreviations:— (i) N.Q. = Not quoted. (ii) 'C' = Controlled price.
(iii) N.A. = Not available.

वस्तुएं Commodities	किस्म Variety/quality	इकाई Unit	भाव Rates	अन्य Remarks
1	2	3	4	5
I. अन्न CEREALS—			रुपये Rs.	
1. चावल Rice	बासमती Basmati	प्रति कि० ग्रा० Per kg.	5.50 to 7.00	
	परमल Parmal	..	3.50 to 3.80	
	बेगमी Begmi (I.R.8)	..	2.06	'C'
			2.60 to 2.70	
2. गेहूं wheat	देसी Desi	..	2.10 to 2.20	
	कल्याण Kalyan	..	1.80 to 1.90	
			1.49	'C'
3. गेहूं का आटा Wheat Flour	देसी Desi	..	2.20 to 2.30	
	आटा Atta (Kalyan)	..	2.10 to 2.20	
4. ज्वार Jowar		..	1.70 to 1.80	
5. बाजरा Bajra		..	1.60 to 1.70	
6. जौ Barley		..	1.35 to 1.40	
7. मक्का Maize		..	17.0 to 1.80	
8. मकरंदी Sweet Potatoes		..	1.60 to 2.00	

1	2	3	4	5
II. दालें			रुपये	
PULSES—			Rs.	
1 चा Gram	(i) साबत Whole (Garara)	प्रति कि० ग्रा० Per kg.	3.80 to 4.00	
	(ii) बिना छिलके की दाल Split without skin	„	4.50 to 4.60	
	(iii) बेसन Besan	„	4.80 to 5.00	
2 अरहर Arhar--	साबत Whole	„	N.A.	
(a) देसी Desi	बिना छिलके की दाल Split without skin	„	4.80 to 5.00	
(b) कानपुरी Kanpuri	बिना छिलके की दाल Split without skin	„	5.20 to 5.40	
3 मूंग Mung	(i) साबत Whole	„	4.60 to 4.80	
	(ii) छिलके वाली दाल Split with skin	„	4.80 to 5.00	
	(iii) बिना छिलके की दाल Split without skin	„	5.00 to 5.20	
4 काले उदं Urd Black	(i) साबत Whole	„	3.40 to 3.80	
	(ii) छिलके वाली दाल Split with skin	„	3.80 to 4.00	
	(iii) बिना छिलके की दाल Split without skin	„	4.50 to 5.00	
5 मसूर Massur	(i) साबत Whole	„	4.20 to 4.60	
	(ii) बिना छिलके की दाल Split without skin	„	4.60 to 4.80	
6. अन्य दालें Other pulses—				
(a) मोठ Moth	साबत Whole	„	3.80 to 4.00	
(b) चना Gram	काबुली Kabuli	„	4.25 to 5.50	
(c) राजमा Rajma	चित्रा Chitra	„	4.20 to 4.40	
(d) लोबिया सफेद Lobia White		„	4.00 to 5.00	
(e) मटर सफेद Peas White	सूखी Dry	„	4.40 to 4.60	
III बीनी और गुर				
SUGAR AND GUR—				
1. गुर Gur	देसी Desi	„	3.20 to 3.40	

1	2	3	4	5
			रुपये Rs.	
2. चीनी दानेदार Sugar Crystal		प्रति कि० ग्रा० Per kg.	6.10 to 6.30	
3. खांडसारी Khandsari		”	5.00 to 5.50	
4. देसी खांड Sugar Desi	बूरा Bura	”	5.50 to 6.00	
IV. तेल OILS—				
1. मूंगफली का तेल Groundnut Oil		”	17.00	
2. अरंडी का तेल Castor Oil		”	8.50	
3. सरसों का तेल Mustard Oil	(i) कच्ची घानी Kachchi ghani	”	16.50	
	(ii) पक्की घानी Pakki ghani	”	14.60	
4. अलसी का तेल Linseed Oil		”	14.00	
5. नारियल का तेल Coconut Oil	(i) साफ किया हुआ Refined	”	N.A.	
	(ii) बिना साफ किया हुआ Unrefined	”	18.00	
6. वनस्पति तेल Vegetable Oil	पनघट Panghat	”	12.59	
7. अन्य तेल Other Oils—				
(a) महुआ का तेल Mahua Oil		”	12.00	
(b) तिल का तेल Til Oil		”	16.00	
V. सब्जियां, फल और मेवे VEGETABLES, FRUITS AND NUTS—				
A. सब्जियां Vegetables—				
1. आलू Potatoes	(i) पहाड़ी Hill	”	N.A.	
	(ii) देसी Desi	”	1.20 to 1.40	
2. प्याज Onions	(i) सूखी Dry	”	2.30 to 2.60	
	(ii) हरी Green	”	1.40 to 1.60	
3. टमाटर Tomatoes		”	2.50 to 3.00	

1	2	3	4	5
				रुपये Rs.
4. हरी मटर Peas Green	(i) शिमला Simla	प्रति कि० प्रा० Per kg.		N.A.
	(ii) देसी Desi	„		4.50 to 5.00
5. अर्वी Arvies		„		2.50 to 3.00
6. फौसी कल Pumpkin		„		1.40 to 1.50
7. बीया Bottle gourd		„		1.40 to 1.60
8. अन्य मौसमी सब्जियाँ Other seasonal vegetables—				
	(a) Brinjals (Round)	„		1.50 to 2.00
	(b) Spinach Country	„		0.80 to 1.00
	(c) Turnips	„		1.60 to 2.00
	(d) Cauliflower	„		1.50 to 2.00
(B) फल Fruits—				
1. आम Mango		„		N.A.
2. केले Bananas		प्रति दर्जन Per dozen		2.50 to 3.00
3. संतरे Oranges		„		6.00 to 8.00
(C) मूवे— Nuts—				
1. काजू 320/210 Cashewnut 320/210		प्रति कि० प्रा० Per kg.		70.00 to 78.00
2. बावाम काठा Almond katha		„		23.00 to 24.00
3. अखरोट Walnut		„		10.00 to 14.00
4. कियामिश Raisin Kandhari		„		55.00 to 65.00
5. खजूर Dates	सूखे Dry	„		8.00 to 9.00
VI. तम्बाकू TOBACCO—	पत्ती देसी Leaf	„		9.00 to 10.00
VII. पशुधरियों से प्राप्त वस्तुएं LIVESTOCK PRODUCTS—				
1. दूध Milk		प्रति लिटर Per litre		3.40 to 3.60

1	2	3	4	5
			रुपये Rs.	
2. घी Ghee	(i) महेश "एग मार्क" "Agmark" Mahesh	प्रति कि० प्रा० Per kg.	42.25	
	(ii) बिना किसी मार्का का (खुला हुआ) Ungraded	„	33.00 to 33.50	
3. अंडे Eggs	(i) बिना श्रेणी वाले Ungraded	प्रति दर्जन Per dozen	6.30	
	(ii) प्रथम श्रेणी वाले Grade 'A'	„	6.50	
	(iii) द्वितीय श्रेणी वाले Grade 'B'	„	6.40	
	(iv) तृतीय श्रेणी वाले Grade 'C'	„	6.30	
4. भेड़ बकरे का गोشت Mutton	(i) हलाल Halal	प्रति कि० प्रा० Per kg.	17.00 to 18.00	
	(ii) झटका Jhatka	„	17.00 to 18.00	
VIII. मसाले प्रादि— CONDIMENTS AND SPICES—				
1. हल्दी साबत Turmeric Whole		„	5.00 to 6.50	
2. इमली Tamarind	(i) गुठली वाली Seeded	„	4.00 to 4.50	
	(ii) बिना गुठली वाली Unseeded	„	10.00 to 11.00	
3. सूखी लाल मिर्च Chillies Dry	देसी Desi	„	14.00 to 17.00	
4. धनिया Coriander	(i) बड़ा Large	„	8.00 to 9.00	
	(ii) छोटा Small	„	10.00 to 11.00	
5. अमचूर Amchur	नया/पुराना New/Old	„	10.00 to 16.00	
6. नमक Salt	सांभर Sambhar	„	0.40	
IX. अन्य MISCELLANEOUS—				
1. मिट्टी का तेल Kerosene Oil		प्रति लिटर Per litre	1.81	'C'
2. जलाने की लकड़ी Firewood	कबाड़ Kabard	प्रति क्विंटल Per quintal	55.00 to 60.00	
3. लकड़ी का कोयला Charcoal	सूखा Dry	„	100.00 to 110.00	

1	2	3	4	5
			रुपये Rs.	
4. पत्थर का कोयला Soft Coke		प्रति क्विन्टल Per quintal	40.13	'C'
5. मोटा कपड़ा Coarse Cloth :—				
(क) लट्टा Long cloth	D.C.M. 4/421/4095	प्रति मीटर Per metre	11.25	
(ख) मर्दाना धोती जोड़ा Dhoti Pair	D.C.M. 3/187/8002	प्रति जोड़ा Per pair	95.80	
6. जूता Shoe	न्यूकट (बाटा) Superstride Shoe size 4-10 Nu cutt (Leather)		74.85	

के० डी० भाटिया, निदेशक
K. D. BHATIA, Director
Bureau of Economics & Statistics